



॥ आठम् ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार –249404

(यूजी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY), HARIDWAR - 249404

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक *ESTH-II/JR/2059*

दिनांक : *11/07/2023*

कार्यालय आदेश

आदेशानुसार गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जिन शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की प्रौन्नति देय होती है। वे सभी शिक्षक/शिक्षिकाएँ एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजी०सी०) के रेगूलशन-2018 के बिन्दु संख्या 6.3 (I) के अनुसार देय प्रौन्नति से तीन माह पहले भी अपना CAS प्रौन्नति सम्बन्धी आवेदन पत्र समविश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर उचित माध्यम से कुलसचिव कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

/
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. मा० कुलपति जी
2. निदेशक, आई०क्य०ए०सी०
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
4. कुलसचिव कार्यालय
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट

(Signature)
कुलसचिव